

मांग संख्या 67
मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी के समीप अतिरिक्त डबल फीडर की स्थापना हेतु ₹ 153.60 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,53,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 2

नव घोषित 06 जिलों हेतु 07 सैनिक बैरक निर्माण कार्य प्रति बैरक ₹ 22.00 लाख के मान से राशि ₹ 154.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,54,00,000 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

उच्च न्यायालय परिसर बोदरी बिलासपुर में अतिरिक्त निर्माण कार्य (कवर्ड पथ-वे) का निर्माण कार्य लागत राशि ₹ 304.26 लाख तथा ₹ 100.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4

जिला उपभोक्ता फोरमों के भवन निर्माण हेतु राशि ₹ 14.66 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 14,66,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5

1. उप जेल कबीरधाम, रामानुजगंज, कटघोरा में आधुनिक मुलाकात भवन निर्माण कार्य हेतु ₹ 17.39 लाख का व्यय संभावित है
2. शौचालय एवं स्नानागार हेतु ₹ 2.81 लाख का व्यय संभावित है
3. उप जेल कटघोरा में मुलाकात प्रतीक्षालय का निर्माण हेतु ₹ 2.49 लाख का व्यय संभावित है ।
4. उप जेल कटघोरा में वीडियो कान्फ्रेंसिंग हाल निर्माण कार्य पर ₹ 2.30 लाख का व्यय संभावित है ।
5. जिला जेल रायगढ़ में वाटर टैंक, पाकशाला मरम्मत हेतु ₹ 3.79 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इन प्रयोजनों हेतु ₹ 28,78,000 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6 से 7

छुईखदान में व्यवहार न्यायालय भवन के निर्माण कार्य हेतु केन्द्रांश राशि ₹ 79.11 लाख तथा राज्यंश ₹ 42.05 लाख कुल आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 126.16 लाख की अग्रिम स्वीकृत किया गया है । जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 126.16 लाख की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,26,16,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

सुकमा जिले में चिंतागुफा तिमिलवाड़ा पुसवाड़ा सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु भारी मशीनों के क्रय पर ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 9

पं0 जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में आडिटोरियम भवन निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 2630.28 लाख) पर इस वर्ष ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है । इस हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4216

मद क्रमांक 10

व्यवहार न्यायालय कटघोरा जिला कोरबा में न्यायिक कर्मचारियों के लिए 4 जी, 7 एच एवं 7 आई टाईप, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में न्यायालयीन कर्मचारियों के लिए 5 जी-टाईप, जिला न्यायालय, धमतरी के न्यायिक कर्मचारियों के लिए 13 जी-टाईप 12 आई-टाईप तथा कोरबा जिला न्यायालय के कर्मचारियों हेतु 10 एच-टाईप एवं 10 जी- टाईप आवास गृहों का निर्माण हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 11 एवं 12

व्यवहार न्यायालय कटघोरा जिला कोरबा में न्यायिक अधिकारियों के लिए 1 डी, 1 ई, 1 एफ टाईप, जिला न्यायालय, धमतरी के न्यायिक अधिकारियों के लिए 1 बे-टाईप 1 डी टाईप, 2 ई-टाईप, 2 एफ-टाईप तथा कोरबा जिला न्यायालय के अधिकारियों हेतु 10 एफ टाईप, 2 ई टाईप, 1 सी टाईप, 4 डी टाईप आवास गृहों का निर्माण हेतु ₹ 800.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4250

मद क्रमांक 13

पिथौरा जिला-महासमुंद, नवागढ़ जिला-बेमेतरा एवं लालबहादुर नगर जिला-राजनांदगांव में नवीन आई.टी.आई एवं छात्रावास भवन निर्माण हेतु हेतु ₹ 150.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।